न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 25 / 2024	2024 / 133	21.11.2024 5	09.07.2025

1– शमशेर पुत्र घडसी जाति अहीर,
2– वलबीर पुत्र शेरसिंह जाति अहीर,
3– रामकिशन पुत्र शेरसिंह जाति अहीर,
4– वीरसिंह पुत्र शेरसिंह जाति अहीर,
5– लक्ष्मण पुत्र शेरसिंह जाति अहीर,
6– अजय कुमार पुत्र जय किशन पौत्र शेरसिंह जाति अहीर,
7– सविता स्त्री जय किशन पौत्र वधू शेरसिंह जाति अहीर निवासीयान ग्राम राजधोकी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– नायव तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2–राज सिंह उर्फ रण सिंह पुत्र छाजू जाति अहीर निवासी ग्राम राजधोकी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल रेस्पॉडेन्ट

3–रूपचन्द पुत्र घडसी जाति अहीर, निवासी ग्राम राजधोकी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

बरतीवी रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा नायव तहसीलदार तिजारा निर्णय दिनाक 30.05.2000 नामान्तकरण संख्या 236 वाके ग्राम राजधोकी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री मनीष कुमावत
02. श्री संजय यादव

'–वकील अपीलान्ट
–वकील रेस्पोडेन्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार तिजारा के नामान्तकरण संख्या 236 निर्णय दिनाक 30.05.2000 वाके ग्राम राजधोकी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी वहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, आराजी खसरा न0 22 वाके ग्राम राजधोकी तहसील तिजारा की आराजी रोहताश, कँवर सिंह, निहाल सिंह, राजसिंह पुत्रान छाजू व श्रीमती श्रवण स्त्री छाजू जाति अहीर निवासी राजधोकी का 1/2 भाग था जो उन्होने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनाक 25.02.2000 को घडसी पुत्र जीसुख जाति अहीर निवासी राजधोकी को विक्रय की गयी। विक्रय के वाद घडसी ने बयनामा की नकल पटवारी हल्का को पेश की गयी। जिस पर पटवारी हल्का ने बयनामा के मुताविक बयनामा के घडसी के नाम नामान्तकरण दर्ज

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

कर दिया। नामान्तकरण विक्रेता रोहताश, कँवर सिंह, निहाल सिंह, पुत्रान छाजू व श्रीमती श्रवण स्त्री छाजू की हद घडसी के नाम स्वीकार कर दिया किन्तु विक्रेता राजसिंह के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण नाबालिग होने का आधार मानते हुऐ स्वीकार नही किया गया। वक्त बयनामा राजसिंह की उम्र 25 साल थी, बयनामा में राजसिंह की उम्र 25 साल लिखी हुई है। तथा बयनामा विक्रेतागण की उपस्थिति में उप पंजियक तिजारा द्वारा पंजीबद्व किया गया है। बयनामा पर विक्रेता राजसिंह का फोटो भी चस्पा है, जिससे यह स्पष्ट था कि राजसिंह वक्त बयनामा नाबालिग नही था, किन्तु तहत अदालत ने राजसिंह को नाबालिग मानते हुऐ उसके हिस्से की आराजी का नामान्तकरण खरीददार के नाम स्वीकार नही किया गया। जबकि कानूनन तहत अदालत को मुताबिक बयनामा के नामान्तकरण स्वीकार किया जाना चाहिए था। तहत अदालत ने रेस्पोडेन्ट राजसिंह के नाबालिग होने के बाबत कोई जॉच नही की इस स्थिति में भी तहत अदालत का निर्णय न्यायसंगत नही है। आराजी खसरा न0 22 वाके ग्राम राजधोकी तहसील तिजारा घडसी ने क्रय की गयी थी, घडसी का स्वर्गवास हो चुका है, घडसी के तीन पुत्र शेरसिंह, रूपचन्द, श्मशेर सिंह है। जिनमें से शेरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 7 है। तरतीबी रेस्पोडेन्ट रूप चन्द का आराजी में हिस्सा है, किन्तु वह अपील के समय उपस्थित नही है। इस लिए तरतीबी रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। तहत अदालत के द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी गयी बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। दिनाक 28.12.2020 को रेस्पोडेन्ट राजसिंह ने अपीलान्टान को धमकी दी कि उसने जो आराजी विक्रय की थी, वह उसी के नाम है, जिसे वह विक्रय करेगा। जिस पर दिनाक 29.12.2020 को अपीलान्टान ने पटवारी हल्का से जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि राजसिंह द्वारा विक्रय की गयी आराजी का नामान्तकरण खरीददार के नाम दर्ज नही हुआ है। जिस पर अपीलान्टान ने दिनाक 29.12.2020 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर दिनाक 29.12.2020 को ही नकल प्राप्त हो गयी। इस प्रकार जानकारी की दिनाक 29.12.2020 से अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है। आदेश दिनाक 30.05.2000 से जानकारी की तारीख 29.12.2020 तक का समय उस स्थिति में धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 के तहत कन्डोन किये जाने योग्य है। इस हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 के तहत पृथक से संलग्न कर अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा राजसिंह के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण स्वीकार नही किया गया है, उस हद तक निरस्त कर नामान्तकरण संख्या 236 वाके ग्राम राजधोकी तहसील तिजारा में राजसिह के हिस्से का नामान्तकरण भी अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के नाम स्वीकार किये जाने हेतु आदेश फरमाये जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को आंशिक स्वीकार करते हुए निवेदन किया है, प्रकरण में वर्णित आराजी खातेदारन द्वारा जर्ये बयनामा दिनाक 25.02.2000 को घडसी को बेचान किया गया है, वक्त बेचान/बयनामा के समय विक्रेता राजसिंह नाबालिग होने के कारण राजसिंह के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण नाबालिग होने का आधार मानते हुऐ स्वीकार नही किया गया। तहत अदालत द्वारा विधिवत जॉच कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.05.2000 नामान्तकरण संख्या के 236 वाके ग्राम राजधोकी तहसील तिजारा के विरूद्व पेश की गयी है, पेश की गयी अपील मियाद के बाहर पेश की गयी है, विलम्ब को कारण भी संतोषप्रद नही है। अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2000 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 06.01.2021 को पेश की गयी है, जो 20 वर्ष, 7 माह, 5 दिन पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। अत्याधिक विलम्ब के मामलो में दिन–प्रतिदिन का ब्यौरा न्यायालय में पेश किये जाने का प्रावधान है। किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई ठोस वैधानिक साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश नही किया है, जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

1963 के शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वाश किये जाने योग्य नही है। अपील अपीलान्ट मियाद के बाहर पेश किये जाने के कारण मियाद के बिन्दू पर खारिज किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है, तहसीलदारा किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.05.2000 नामान्तकरण संख्या 236 वाके ग्राम राजधोकी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)